

तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत

प्रलिस के लयल:

[राष्ट्रीय वधलकल सेवा प्राधकलरण \(NALSA\)](#) , [राष्ट्रीय लोक अदालत](#) , [वधलकल सेवा प्राधकलरण अधनलयम, 1987](#) , [गंधीवादी सदलधलंत](#) , [वैकलपकल ववलद समाधलन \(ADR\) प्रणलली](#) , [अरदध-नयलकल नकलय](#) , [सथलयी लोक अदालतें](#)

मेन्स के लयल:

वैकलपकल ववलद समाधलन (ADR) प्रणलली के रूप में लोक अदालत के कलर्य और संबधतल चुनौतयलें।

[सुरत: द हदु](#)

चरुल में कयलें?

हलल ही में [राष्ट्रीय वधलकल सेवा प्राधकलरण \(NALSA\)](#) दवलरल 27 रलक्यलं/केंदरशलसतल प्रदेशलें के तललुकलें, जलललें और उचुच नयलललयलें में वरुष 2024 की तीसरी [राष्ट्रीय लोक अदालत कल आयोजन](#) कयल गयल।

- इसकल आयोजन भरत के सरुवोचुच नयलललय के नयललधलश एवं नललसल के कलर्यकलरी अधयकष नयलयमूरतल संजीव खननल के नेतृत्व में कयल गयल।

तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत, 2024 की मुखय वशलषतलएँ कयल हैं ?

- नपलटलए गए मलमललें की संखयल: तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत, 2024 के दुरलन 1.14 करोड से अधकल मलमललें कल नपलटलरल कयल गयल। यह अदालतलें में बढते लंबतल मलमललें को कम करने की दशल में एक बडल कदम है।
- नपलटलए गए मलमललें कल ववलरण: लोक अदालत में नपलटलए गए 1,14,56,529 मलमललें में से 94,60,864 [मुकदमे-पूरुव मलमले](#) थे तथल 19,95,665 मलमले वधलनलन अदालतलें में लंबतल थे।
- नपलटलए गए मलमललें के प्रकलर: इन मलमललें में [समझलतल योग्य आपरलधकल अपरलध](#) , यलतलयलत चललन, रलकसुव, बैंक वसुली, मोटर दुरुघटना, चेक कल ववलचक (dishonor), शरुम ववलद, [वैवलहकल ववलद \(तललक के मलमललें को छुडकर\)](#) , भूमल अधगलरुहण, बौदधकल संपदल अधकलर और अनय सवललल मलमले शलमलल हैं।
- नपलटलन कल वतलतलयी मूलय: इन मलमललें में कुल नपलटलन रलशलकल अनुमलनतल मूलय 8,482.08 करोड रुप थल।
- सकलरलतुमक सलरुवजनकल प्रतकलरलकलरल: इस कलर्यकुरुम में लुगलें की भारी भलगलदलरी देखी गई, जो लोक अदालतलें में जनतल के मजुबूत वशलवलस को दरुशलतल है। यह [वधलकल सेवा प्राधकलरण अधनलयम, 1987](#) और [राष्ट्रीय वधलकल सेवा प्राधकलरण \(लुक अदललत\) वनलयम, 2009](#) में नरुधलरतल उददेशुयलें के अनुरूप है।

लुक अदललत कयल है?

- लुक अदललत यल जन अदललत: नयलललयल में लंबतल यल [मुकदमे-पूरुव ववलदलें को समझलते यल सलुहलरुदपूरुण समाधलन](#) के मलधयम से नपलटलन हेतु एक वैकलपकल मंच है।
 - सरुवोचुच नयलललयल ने इस बलत पर जुरे देते हुए कलल है कललुक अदललत नयलयनरुणयन की एक [पूरुलकलन भरतलीय प्रणलली](#) है जो आज भी पूरुलसंगकल है और [गंधीवादी सदलधलंतलें](#) पर आधलरतल है।
 - यह [वैकलपकल ववलद समाधलन \(ADR\) प्रणलली](#) कल एक हसलसल है, जसकल उददेशुय लंबतल मलमले के संदरुभ में भरतलीय नयलललयलें को रलहत प्रदलन करना है।
- उददेशुय: इसकल उददेशुय नयमतल नयलललयलें में हुने वलली लंबी और महेंगी प्रकुरलकलरलें के बनल [तुवरतल नयलय](#) प्रदलन करना है।
 - लुक अदललत में [कसल की हलर यल जीत नहीं हुतल है](#), इसमें ववलद समाधलन हेतु एक [सलमजसुयपूरुण दृषुकलुण अपनलयल जलतल है](#)।
- ऐतलहलसकल वकलस: सुवतंतुर भरत में पहलल लोक अदललत शवलरल 1982 में गुजरलत में आयोजतल कयल गयल थल , जसकल सफलतल के बलद इसकल

वसितार संपूर्ण देश में कथिा गया ।

- **कानूनी ढाँचा:** प्रारंभ में कानूनी प्राधिकार के बनिा एक **सर्वेच्छिक संस्था** के रूप में कार्य करते हुए, **वधिकि सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987** द्वारा लोक अदालतों को **वैधानिकि दर्जा** प्रदान कथिा गया ।
 - इस अधिनियम द्वारा संस्था को न्यायालय के आदेश के समान प्रभाव वाले अधिकार प्रदान कथिा गए ।
- **आयोजक एजेंसियाँ:** लोक अदालतों का आयोजन नालसा, राज्य वधिकि सेवा प्राधिकरण, ज़िला वधिकि सेवा प्राधिकरण, सर्वोच्च न्यायालय वधिकि सेवा समिति, उच्च न्यायालय वधिकि सेवा समिति या तालुक वधिकि सेवा समिति द्वारा आवश्यक समझे जाने वाली अवधि और स्थानों पर कथिा जा सकता है ।
- **संरचना:** एक लोक अदालत में आमतौर पर एक न्यायिकि अधिकारी (अध्यक्ष), एक वकील और एक सामाजिकि कार्यकर्ता शामिल होते हैं ।
- **क्षेत्राधिकार:**
 - लोक अदालत को न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आने वाले **लंबति मामलों** और **मुकदमे-पूर्व मामलों** सहति विवादों पर क्षेत्राधिकार प्राप्त है ।
 - यह वैवाहिकि विवाद , समझौता योग्य आपराधिकि अपराध, श्रम विवाद, बैंक वसूली, आवास और उपभोक्ता शकियातों जैसे विभिन्न मामलों का नपिटान करता है ।
 - लोक अदालत का **गैर-समझौता युक्त अपराधों** , जैसे गंभीर आपराधिकि मामलों पर क्षेत्राधिकार नहीं है , क्योंकि इन्हें समझौते के माध्यम से सुलझाया नहीं जा सकता ।
- **लोक अदालत को मामले भेजना:** मामले लोक अदालत को भेजे जा सकते हैं, यदि
 - पक्षकार **लोक अदालत में विवाद नपिटान हेतु सहमत होते हैं** ।
 - इनमें से एक पक्षकार द्वारा मामले को **लोक अदालत में स्थानांतरति हेतु** न्यायालय में आवेदन कथिा जाता है ।
 - मामला लोक अदालत द्वारा संज्ञान लेने **योग्य है** ।
 - **मुकदमा-पूर्व स्थानांतरण:** मुकदमा-पूर्व विवादों को किसी भी पक्ष से आवेदन प्राप्त होने पर स्थानांतरति कथिा जा सकता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि विवादों का नपिटारा न्यायालय में पहुँचाने से पहले ही कर दथिा जाए ।
- **शक्तियाँ:** लोक अदालत को निम्नलिखति मामलों के संबंध में मुकदमे की सुनवाई करते समय **सविलि प्रक्रयाि संहति, 1908** के तहत **सविलि न्यायालय** में नहिति शक्तियाँ प्राप्त होंगी ।
 - **किसी भी गवाह को बुलाना** और उसकी उपस्थति सुनिश्चिति करना ।
 - **किसी भी दस्तावेज़ की खोज** और जाँच ।
 - शपथ-पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना ।
 - न्यायालयों या कार्यालयों से **सार्वजनिकि अभिलेखों या दस्तावेज़ों की मांग** करना ।
- **लोक अदालत की कार्यवाही:**
 - **स्व-नरिधारति प्रक्रयाि:** लोक अदालत विवादों के नपिटान हेतु **स्वयं की प्रक्रयाि नरिदषिट कर सकती है**, जिससे औपचारिकि न्यायालयों की तुलना में प्रक्रयाि सरल और अनौपचारिकि हो जाती है ।
 - **न्यायिकि कार्यवाही:** सभी लोक अदालतों की कार्यवाही को **भारतीय दंड संहति, 1860 (भारतीय न्याय संहति, 2023)** के तहत न्यायिकि कार्यवाही माना जाता है और **दंड प्रक्रयाि संहति, 1973 (भारतीय नागरिकि सुरक्षा संहति, 2023)** के तहत सविलि न्यायालय का दर्जा प्राप्त है ।
- **नरिणय की बाध्यकारति:**
 - **सविलि न्यायालय का नरिणय:** लोक अदालत द्वारा दथिा गए नरिणयों को सविलि न्यायालय के नरिणय के समान दर्जा प्राप्त होता है, यह अंतमि और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होते हैं ।
 - **अपील न कथिा जाने योग्य:** नरिणयों के वरिद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है, इसलथि लोक अदालतों में लंबी अपील संबंधी प्रक्रयािओं की आवश्यकता के बनिा विवादों का तीवर नपिटान कथिा जा सकता है ।



//

लोक अदालत के क्या लाभ हैं?

- **न्यायालय शुल्क**: लोक अदालत कोई न्यायालय शुल्क नहीं लेती है , बल्कविवाद का नपिटारा लोक अदालत में किया जाता है तो भुगतान की गई शुल्क वापस कर दी जाती है ।
- **प्रक्रिया का सरल होना**: प्रक्रियाएँ सरल हैं और साक्ष्य या सविलि प्रक्रिया के तकनीकी नियमों के प्रावधानों के अधीन नहीं हैं, जिसके कारण ही विवादों का शीघ्र नपिटारा संभव हो पाता है ।
- **प्रत्यक्ष संवाद**: विवाद के पक्षकार अपने वकील के माध्यम से सीधे न्यायाधीश के साथ संवाद कर सकते हैं , जो क न्यायालयों में संभव नहीं हो पाता है ।
- **अंतिम एवं बाध्यकारी नरिणय**: लोक अदालत द्वारा दिया गया नरिणय पक्षकारों पर बाध्यकारी होता है जिसे सविलि न्यायालय का दर्जा प्राप्त होता है तथा यह अपील योग्य नहीं होता है , जिसे विवादों के अंतिम रूप से नपिटान में देरी नहीं होती ।
- **नमिन समय अवधि**: लोक अदालत शीघ्र समाधान प्रदान करती है, जो औपचारिक लंबी अदालती कार्यवाही से बचाती है ।
- **सामंजस्यपूर्ण नरिणय**: लोक अदालत सहयोग की भावना को बढ़ावा देती है, जहाँ कोई भी पक्ष यह महसूस नहीं करता कि उसने हार मान ली है तथा विवादित पक्षों के बीच संबंध अक्सर बहाल हो जाते हैं ।

लोक अदालत के समक्ष चुनौतियाँ क्या हैं?

- **भागीदारी की स्वैच्छिक प्रकृति:** जबकि लोक अदालतों का उद्देश्य सौहार्दपूर्ण विवाद का समाधान करना है, दोनों पक्षों को **स्वेच्छा से भाग लेने के लिये सहमत होना चाहिये**। यदि कोई भी पक्ष अनिच्छुक है, तो मामले को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है।
- **शीघ्र कार्यवाही पर न्यायिक सावधानी:** उच्च न्यायापालिका ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि लोक अदालत की कार्यवाही **सेकसि भी पक्ष के अधिकारों** और नष्पिपक्ष प्रतनिधितिव से समझौता नहीं होना चाहिये।
- **सीमति दायरा:** लोक अदालतों का अधिकार **सविलि और समझौता योग्य आपराधिक मामलों तक ही सीमति है**, जिससे कानूनी मुद्दों की व्यापक श्रेणी को संबोधति करने की उनकी क्षमता सीमति हो जाती है।
- **अपील का अभाव:** लोक अदालत का नरिणय अंतमि होता है जिसके नरिणय के बाद अपील नहीं की जा सकती है। यह वादकारी को, खासकर यदि वे परणिगम से असंतुषट हैं, तो इस तरह की कार्रवाई करने से हतोत्साहति कर सकता है।
- **पक्षों की अनच्छिा:** लोग कभी-कभी **औपचारिक अदालती प्रक्रियाओं पर ही अडे रहते हैं**, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि अदालत के बाहर समझौता उनके हतियों को पूरी तरह से पूरा नहीं कर पाएगा।

आगे की राह:

- **ADR के मूल सदिधांतों को मज़बूत करना:** लोक अदालतों को **अरद्ध-न्यायिक नकियायों** के रूप में वकिसति होने के बजाय **सुलह और नपिटान मंच के रूप में अपनी भूमिका की पुषट करनी चाहिये**।
 - यह सुनश्चिति करने के लिये न्यायाधीशों और कार्रमकों का उच्चति प्रशक्षिण प्रदान करना आवश्यक है ताकि वे औपचारिक न्यायनरिणयन की अपेक्षा **सौहार्दपूर्ण विवाद समाधान को प्राथमकता दें**।
- **कमज़ोर वर्गों के लिये पहुँच:** एक सक्रिय आउटरीच रणनीत में वधिकि सेवा प्राधकिरणों को शामिल कयिा जा सकता है, जो ग्रामीण और दूर-दराज़ के कषेत्रों में जाकर **मुकदमा-पूर्व परामर्श प्रदान कर सकते हैं** तथा नागरिकों को यह मार्गदर्शन दे सकते हैं कि लोक अदालतें कसि प्रकार उनके विवादों को सुलझाने में मदद कर सकती हैं।
- **तीव्रता बनाम नष्पिपक्षता के बारे में चतिाओं का समाधान:** लोक अदालतें एक **स्तरिकृत प्रणाली अपना सकती हैं**, जहाँ गहन सुनवाई की आवश्यकता वाले विवादों को अधिक समय तक आवंटति कयिा जाता है, ताकि जल्दबाज़ी में लिये गए नरिणयों के जोखमि को रोका जा सके, जिसके अन्यायपूर्ण परणिगम हो सकते हैं।
- **स्थायी लोक अदालतों के कषेत्राधिकार का वसितार:** **स्थायी लोक अदालतों** (जो वर्तमान में सार्वजनिक उपयोगति सेवाओं तक सीमति हैं) के अधिकार कषेत्र का वसितार करके **छोटे सविलि मामलों, उपभोक्ता संबंधी मामलों और पारिवारिक** जैसे मामलों की अधिक श्रेणियों को कवर कयिा जा सकता है, जिससे न्यायालय में लंबति मामलों को कम करने तथा न्याय तक पहुँच में सुधार करने में मदद मिलेगी।

दृषट मुखय परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत में वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली के रूप में लोक अदालतों की भूमिका पर चर्चा कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQs)

??????????:

प्रश्न: राष्ट्रिय वधिकि सेवा प्राधकिरण के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि: (2013))

1. इसका उद्देश्य समाज के कमज़ोर वर्गों को समान अवसर के आधार पर नशुलक एवं सक्षम वधिकि सेवाएँ प्रदान करना है।
2. यह पूरे देश में कानूनी कार्रयक्रमों और योजनाओं को लागू करने हेतु राज्य कानूनी सेवा प्राधकिरणों के लिये दशिा-नरिदेश जारी करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

प्रश्न. लोक अदालतों के संदर्भ में नमिनलखिति में से कौन-सा कथन सही है? (2010)

- (a) लोक अदालतों के पास पूर्व-मुकदमेबाज़ी के स्तर पर मामलों को नपिटाने का अधिकार कषेत्र है, न कि उन मामलों को जो कसि भी अदालत के समक्ष लंबति हैं।
- (b) लोक अदालतें उन मामलों का नपिटान कर सकती हैं जो दीवानी हैं और फौजदारी प्रकृति के नहीं हैं।
- (c) प्रत्येक लोक अदालत में या तो केवल सेवारत या सेवानवृत्त न्यायिक अधिकारी होते हैं और कोई अन्य व्यक्त नहीं होता है।
- (d) उपर्युक्त कथनों में से कोई भी सही नहीं है।

उत्तर: (d)

प्रश्न: लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2009)

1. लोक अदालत द्वारा किया गया अधिनियम सविलि न्यायालय का आदेश (डिक्री) मान लिया जाता है और इसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई अपील नहीं होती।
2. विवाह-संबंधी/पारिवारिक विवाद लोक अदालत में सम्मलित नहीं होते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर : A

??????:

प्रश्न1. राष्ट्रपति द्वारा हाल ही में प्रख्यापित अध्यादेश के द्वारा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 में क्या प्रमुख परिवर्तन किये गए हैं? इससे भारत के विवाद समाधान तंत्र में किस सीमा तक सुधार होगा? चर्चा कीजिये। (2015)

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/third-national-lok-adalat>

